[16/3/2021] 14

प्रश्न सं. [क्र. 5017]

परिशिष्ट 'अ'

प्रश्नांश 'घ' की जानकारी

नगरपालिका परिषद बालाघाट के नगरीय क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु लाईट विहिन विद्युत पोलों पर सम्मानीय पार्षदों एवं तत्कालीन अध्यक्ष के निर्देशानुसार, परिषद के संकल्प 95 दिनांक 31.03.2018 के परिपालन में एवं वर्तमान समय में कलेक्टर/प्रशासक जिला बालाघाट के निर्देशानुसार, प्रशासक संकल्प क्रमांक 30 दिनांक 17.06.2020 के अनुसार निकाय द्वारा एल.ई.डी. लाईट का क्रय नगरपालिका निधि से किया गया है। पूर्व में शासन के आदेशानुसार नगरीय क्षेत्रों में पी.पी.पी. मॉडल पर एल.ई.डी. लाईट का क्रय किया जाना था किन्तु बालाघाट क्लस्टर अंतर्गत सभी निकायों से सहमति प्राप्त न होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं हो सकी। मान. मंत्री श्री रामकिशोर जी कावरे, आयुक्त एवं जल संसाधन विभाग म.प्र. शासन भोपाल एवं स्थानीय विधायक मान. श्री गौरीशंकर जी बिसेन के बार-बार निर्देशों के परिपालन में एवं प्रशासक/कलेक्टर जिला बालाघाट से सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत नगरीय क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए लाईट विहीन पोलों पर एल.ई.डी. लाईट जनहित में लगाई गई है।

प्रतिबंध के बावजूद निकाय द्वारा एल.ई.डी. लाईट क्रय करने के संबंध में संचालनालय द्वारा संभागीय कार्यपालन यंत्री, जबलपुर संभाग से जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास

उपयंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग